भारत का संघ एवं अन्य

बनाम

श्री रिसल सिंह

अप्रैल 29, 1997

[के. रामास्वामी, एस. सागर अहमद और जी. बी. पटनायक, जे. जे.]

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894:

मुआवजा–संदर्भ अदालत द्वारा बढ़ाया गया–उच्च न्यायालय ने एक सामान्य निर्णय द्वारा सभी अपील निपटा दिया -भारत संघ द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में मुआवजे को कम करने के लिए अपील - फैसला सुनाया गया, अपील को अंतिम होने की अनुमति दी गई है, मुआवजे को कम करने के सवाल पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है-अपील को समीक्षा दायर करने की स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया जाता है यदि यह बताया जाता है कि बाकी मामलों के खिलाफ अपील दायर की गई है।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 3572/1997 .

दिल्ली उच्च न्यायालय के 30.10.91 दिनांकित निर्णय और आदेश से

1991 के आर. एफ. ए. सं. 203 में न्यायालय।

अपीलार्थियों के लिए के. लाहिड़ी, वाई. पी. महाजन और एस. एन. टेरडोल। ए. बी. रोहतगी, ए. मारियारपुथम, विनोद यादव और अरुणा माथुर उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

देरी को माफ कर दिया गया।

छुट्टी दे दी गई।

विशेष अनुमति द्वारा यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले से उत्पन्न होती है। न्यायालय,

30 अक्टूबर, 1991 को आर. एफ. ए. सं. 203/91 में बनाया गया।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 की धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना

(संक्षेप में, 'अधिनियम') दिल्ली शहर के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 27.7.1984 पर प्रकाशित किया गया था। भूमि अधिग्रहण अधिकारी के द्वारा 17,000 रु. और 14,000 रु. प्रति बीघा की दर से छतिपूर्ति प्रदान की गई ।

उस पर संदर्भ में, दीवानी अदालत ने मुआवजे को बढ़ाकर रु 20,000 और रु. 25,000 प्रति बीघा किया । अपील पर, एक सामान्य निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय निपटान के लिए इस अपील के साथ टैग किए जाने के लिए कोई भी संख्या देने में सक्षम था। मामले के उस दृष्टिकोण से, 161 तक, जिसे हम समय के लिए लेते हैं।159 अपीलों के रूप में, फैसले के खिलाफ, अपील की अनुमति दी गई है अंतिम हो जाता है; क्योंकि इस न्यायालय द्वारा एक अपील को अकेले खारिज कर दिया गया है, हम कम करने के लिए मामले में गुणों में जाने और जांच करने से इनकार करना क्षतिपूर्ति। इन परिस्थितियों में हम खारिज करने के लिए विवश हैं यह अपील। यदि अपीलार्थी बाद की तारीख में इंगित करने में सक्षम हैं कि बाकी 159 अपीलों के खिलाफ अपील दायर की गई है, स्वतंत्रता दी गई है उन्हें इस अपील में समीक्षा के लिए एक आवेदन दायर करने के लिए और यह होना चाहिए तदनुसार माना जाता है।

तदनुसार अपील को उपरोक्त निर्देशों के साथ खारिज कर दिया जाता है। नहीं लगतें।

याचिका खारिज कर दी गई।